भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

(145)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर भोपाल बेंच

निगरानी – 6191/2018/भोपाल/भू.रा. प्रकरण क्र..............................

हरगोविन्द आ. जगन्नाथ
निवासी – 201, पलासी वार्ड क्र. 68 भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

मेसर्स गुलमोहर इन्फ्रास्ट्रक्चर, पन्ना – 1,
ग्रीनवेली, एयरपोर्ट रोड़, भोपाल अधिकृत भागीदार

अभिभावक श्री राजेन्द्र वर्मा
द्वारा आज दिनांक 5/10/18
को पेश।
अधीक्षक

1. सैय्यद मुस्तफा हुसैन आ. स्व. एस.एस. हुसैन,
2. सैय्यद आदिल हुसैन आ. एस.एस. हुसैन,
निवासी ग्रीनवेली एयरपोर्ट रोड़ भोपाल
3. म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त बैरागढ़,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल ....अनावेदक

निगरानी म.प्र. भू – राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत्।

(98)

महोदय,

निवेदन है कि यह कि द्वितीय न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा प्रकरण क्र. 789/अपील/2017–18 आदेश दिनॉक 23/08/18 द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत वैधानिक आधारो पर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने से परिवेदित होकर यह निगरानी न्याय प्राप्ति हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

<u>प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :–</u>

1. यह कि अपीलार्थी ग्राम पलासी वृत्त बैरागढ़ स्थित भूमि रकबा 4000 वर्गफीट पर पीछले 40 वर्षो से आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिअपीलार्थी क्र. 1 व 2 द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 131–133–134/2/9/2 ख पर अपीलार्थी का आधिपत्य बताते हुए संहिता की धारा 250 के तहत दावा प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय में स्वीकार कर अपने प्रकरण क्र. 3/अ–70/15–16 आदेश दिनॉक 25/04/16 द्वारा अपीलार्थी को एक तरफा कार्यवाही कर बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है।
2. यह कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रकरण के वैधानिक तथ्यों से अवगत कराया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि का हिस्सा है। मौके पर बटान अंकित नही है, फिर भी अपीलार्थी को बिना सूचित किये सीमांकन कार्यवाही के आधार पर प्रतिअपीलार्थी क्र. 1 व 2 के पक्ष में निर्णय दिया है। अपीलार्थी शासकीय भूमि पर काबिज है और विचारण न्यायालय गलत आधारों पर प्रतिवादी क्र. 1 व 2 को शासकीय भूमि आधिपत्य में सौंप रहे है।
3. यह कि प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि [illegible]
[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/6191/2018/भोपाल/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-2019	आवेदक अधिवक्ता श्री राजेंद्र वर्मा उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	